संख्या-75/2023/I/330379/2023/001-71-2013-28-2020

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौबे,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सेन्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 12 जून, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत सेन्टर हेतु उपकरणों की सूची अनुमोदित किये जाने तथा उपकरण क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-सी0बी0एम0आर0/एफ एण्ड ए/ 2023-24/307, दिनांक 24.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत सेन्टर हेतु उपकरणों की सूची अनुमोदित किये जाने तथा उपकरण क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत सेन्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ हेतु उपकरणों की सूची अनुमोदित करते हुए अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष समस्त धनराशि रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय एतदद्वारा निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर ही संबंधित उपकरणों के क्रय की कार्यवाही सेन्टर के स्तर से नियमानुसार सुनिश्चित की जाएगी।
2. प्रस्तावित उपकरणों के क्रय से पूर्व उनकी स्थापना हेतु आवश्यक स्थान, मानव संसाधन तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थायें अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जायेगी। आपूर्ति के उपरान्त तत्काल उपकरणों को स्थापित कराकर क्रियाशील किया जायेगा।
3. जिन उपकरणों के स्पेसिफिकेशन निर्धारित कर दिये गये हैं, तदनुसार ही कार्यवाही की जायेगी तथा सेन्टर हेतु उपकरण/संयंत्र मद में प्राविधानित सीमा तक ही उपकरणों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

का क्रय किया जायेगा एवं किसी भी परिस्थिति में प्राविधानित धनराशि से अधिक का आहरण/व्यय नहीं किया जायेगा।

4. स्वी्कृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब उपकरण क्रय संबंधी समस्त औपचाकिताओं की पूर्ति सेन्टार द्वारा कर ली जाये।
5. स्वीकृत धनराशि को बैंक/डाकघर आदि में किसी भी दशा में नहीं रखा जायेगा।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय, आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
7. प्रस्तावित उपकरणों की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेंदारी निदेशक/वित्त नियंत्रक/संबंधित विभागाध्यक्ष की होगी।
8. वित्त नियंत्रक द्वारा सी0वी0सी0 एवं वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
9. दर अनुबन्ध/निविदा निर्गत होने से पूर्व वित्त नियंत्रक द्वारा संबंधित विभागाध्यक्ष से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेगें कि प्रस्ता्वित उपकरण किसी एक विशेष कम्पनी की विशिष्टियॉ न हो तथा बाजार में उपलब्ध उच्च स्तर की कम्पनियों की विशिष्टियॉ (Technical Specification) का यथासम्भव समावेश किया जाये।
10. संबंधित उपकरण/संयंत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवर्मेंट ई-मार्केट प्लेस जेम पोर्टल से संबंधित समय-समय पर निर्गत सुसंगत अद्यतन शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. निदेशक/वित्त नियंत्रक सेन्टचर द्वारा क्रय हेतु भण्डार क्रय नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. प्राइज जस्टिफिकेशन संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराना निदेशक/वित्त् नियंत्रक / विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी।
13. सेन्टर के वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उपकरणों का क्रय किए जाने में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया हो और उपकरणों का क्रय न्यूनतम मूल्य पर किया जाय।
14. उक्त उपकरणों का क्रय किए जाने के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकताऐं नियमानुसार पूर्ण किए जाने के पश्चात, यदि उपकरण क्रय के पश्चा्त धनराशि की बचत होती है तो उसे चालू वित्तीय वर्ष में क्रय किए जाने वाले अन्य उपकरणों में तदनुसार समायोजित किया जायेगा।
15. उपकरणों का क्रय सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा। किसी भी स्थिति में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

16. वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (क्रयादेश/उपकरण स्थापना की सूचना सहित) यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
17. प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य के शिडयूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसिफिकेशन के अंतर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित की जाए।
18. स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
19. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किया जाना चाहिए। क्रय की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियों, गुणवत्ता व आडिट आदि की जिम्मेदारी कार्य कराने वाले संस्था की होगी।
20. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संस्थान एवं वित्त नियंत्रक का होगा।
21. धनरशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, सेन्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण,उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेगें।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050700 सेन्टर ऑफ बॉयोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/ दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार चौबे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-75/2023/I/330379/2023/001-71-2013-28-2020, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा् शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
7. वित्त अधिकारी, सेन्टटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च , लखनऊ।
8. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार चौबे)
अनु सचिव।

http://shasanadesh

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-75/2023/I/330379/2023/001-71-2013-28-2020, दिनांक 12 जून 2023 का संलग्नक

Equipment list - 2023-24

S. No.	Equipment Name	Quantity	Amount (₹ in Lakhs)	Justification
1	Acid cabinet	1	2.00	To safely store acid bottles in the laboratory
2	Chiller Unit for Rotary Evaporator	1	2.50	Required for solvent evaporation in chemical reactions. Part of rotary evaporator, which was very old, and now became non-repairable.
3	Rotary evaporator full set	1	8.00	Rotary evaporator is used for evaporation of organic solvents in chemical reactions.
4	Ultra-pure water system	1	7.00	It is required for all the biological assays and chemical reactions.
5	UPS for NMR (30, 20, 15, 15 KVA)	1	12.00	These UPS are required to maintain a stable electric supply for 800 MHz, 600 MHz and 400 MHz NMR systems. The existing UPS units have become obsolete and are not repairable.
6	Electronic balance	1	1.50	Required for weighing compounds (in milligrams) used in various biochemical assays.
7	Ice machine	1	2.00	Used for maintaining temperature of biological assays as well as chemical reactions.
8	Chemiluminescence Imaging System	1	20.00	This system is required for imaging the various protein gels, Western blots and other biological assays
9	Lab refrigerator	5	3.00	Required for storing day-to-day chemicals, solutions etc.
10	(-) 80°Deep Freezer	1	7.00	
11	Freezer -20 °C	2	2.00	
12	Lyophilizer	1	7.00	Utilized for drying protein samples for long-term storage and other biochemical assays.
13	Computer Workstation	1	5.00	Required for undertaking computational studies for drug targets under newly created department of data sciences.
14	Computer Workstation & NMR suite of CHENOMX software	1	5.00	Required for processing and correcting baseline of NMR spectral data recorded on hundreds of clinical samples and further to perform reliable quantitative/ concentration profiling of serum metabolites in addition to other project related activities such as multivariate and uni-variate statistical data analysis and preparing the Tables and Figures for the project report and manuscript.
15	Smart Rack Solution for Data Centre	1	10.00	Required for mounting the servers which store the data of the Centre as well as hosts websites and email servers
16	Air Conditioner	12	6.00	Required for replacement of ACs installed in Central Instrumentation Facilities. These ACs are now obsolete and not repairable.
	TOTAL (₹ in Lakhs)		**100.00**	

(अरविन्द कुमार चौबे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।